

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Criminal Misc. Petition No.5459/2017

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंगोदिया।
लोक अभियोजक श्री एन.एस. शेखावत।

:: आदेश ::

02.11.2017

योग्य लोक अभियोजक ने प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो संलग्न पत्रावली रहे। रिपोर्ट के अनुसार याचीगण के विरुद्ध पुलिस ने अनुसंधान जुर्म प्रमाणित माना है।

अतः योग्य लोक अभियोजक प्रकरण की केस डायरी तलब कर पेश करे।

पत्रावली चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध हो।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/—